आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्बिट्रेटर, धनबाद

आर्बिट्रेशन केश नं0–34 / 2020

08.01.2021

अरूण कुमार नोनिया —बनाम— **भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य**

दावेदार के आवेदन के आलोक में बाघमारा अंचल अन्तर्गत मौजा–**सिनीडीह**, थाना नं0–**295**, खाता नं0–**05**, प्लॉट नं0–**191**, रकवा–**0.0125** एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–32 के 4 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उसपर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक स्वंय उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि :– बाघमारा अंचल अन्तर्गत मौजा–**सिनीडीह**, थाना नं0–**295**, खाता नं0–**05**, प्लॉट नं0–**191**, रकवा–**0.0125** एकड भूमि अर्जन किया गया है। और नोटिश दर्शाये गये कुल **1426421.16** रू0 प्राप्त हो गया है, लेकिन जो मुआवजा मिला है वह कम प्रतीत होता है। जो जमीन की मापी की गई है, वह त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है। आवेदक द्वारा जितनी अर्जन किया गया है, उसकी नये सिरे से मूल्यांकन कर उचित मुआवजा राशि देने का अनुरोध किया गया है।

NHAI द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि यह वाद Not Maintainable है तथा वाद को अस्वीकृत / निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक को मुआवजा राशि सही गणना कर भुगतान किया गया है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद का ज्ञापांक–**1069** / भू0अ0, दिनांक–**10.09.2020** के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि आवासीय भूमि है। जिसका दर **27,06,094.00** रू0 प्रति एकड की दर से निर्धारित की गई है। उक्त भूमि पर संरचना अवस्थित है। भूमि का मुआवजा राशि भुगतान किया गया है एवं संरचना का **12,49,172.00** रू0 भुगतान किया जा चुका है।

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी, बाघमारा का पत्रांक–**1069**, दिनांक–**30.12.2020** के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व मकान अवस्थित थी, वर्त्तमान में उक्त भूमि पर संरचना टुटी हुई है। हाल सर्वे खतियान के अनुसार किस्म मकान मय सहन दर्ज है।

अतः पक्षो को सुनने एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद का ज्ञापांक–**1069**/भू0अ0, दिनांक–**10.09.2020** के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि आवासीय भूमि है। जिसका दर **27,06,094.00** रू0 प्रति एकड़ की दर से निर्धारित की गई है। उक्त भूमि पर संरचना अवस्थित है। भूमि का मुआवजा राशि भुगतान किया गया है एवं संरचना का **12,49,172.00** रू0 भुगतान किया जा चुका है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मुआवजा राशि का भुगतान कम किया गया है। NHAI द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि यह वाद Not Maintainable है तथा वाद को अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक को मुआवजा राशि सही गणना कर भुगतान किया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर यह वाद को **अस्वीकृत** किया जाता है। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रतिलिपि आवेदक/NHAI एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद को दें।

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर, धनबाद।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर, धनबाद।

Scanned with CamScanner